राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :—242 / 2023

सावित्री देवी **—अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीय, चुरू वृत चुरू।
4. सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहर उपखण्ड सरदार शहर, चुरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **17.07.2023**
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी एस बिस्सा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के पति की 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पर पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 1400—2600 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5000—8000) एवं 5500—9000 स्वीकृत कर पेंशन सहित सभी पारिणामिक लाभ, बकाया वेतन एवं वेतन से संबंधित परिलाभ परिवार पेंशन आदि दिए जावे और यह भी निर्देशित किए जावे कि अपीलार्थी को पीपीओ एवं पीपीओ का निर्धारण करते हुए शेष राशि पर ब्याज भुगतान किया जावे।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पति को दिनांक 03.07.1966 को प्रारम्भ में वर्कचार्ज्ड चौकीदार आधार पर नियुक्ति दी गई थी और नियम, 1964 के नियम—3(3) के तहत् अर्द्धस्थाई घोषित उपरान्त उसे पम्प चालक तृतीय के पद पर पदोन्नत किया गया। तद्परान्त उसे पम्प चालक द्वितीय के पद

पर पदोन्नत किया गया। पम्प चालक तृतीय पद को पम्प चालक द्वितीय में क्रमोन्नत कर दिया गया और पम्प चालक द्वितीय का वेतनमान नियम, 1989 के तहत पुनर्निर्धारण कर वेतनमान 910–1520 दिया गया और पम्प चालक प्रथम 975–1720 एवं फोरमैन द्वितीय 1200–2050 एवं फोरमैन प्रथम का वेतनमान 1400–2500 प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान दिया गया। चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 17.02.1998 की पालना में अपीलार्थी का पति को पदोन्नति देने से पूर्व वह द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था, परन्तु उसे उक्त लाभ नहीं दिया गया। उनका कथन है कि सोहन लाल माथुर मामले के निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 5000–8000 निर्धारित किया जाना चाहिए । अपीलार्थी के पति दिनांक 09.07.2001 को सेवानिवृत्त हुए और उनका देहान्त हो चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी के पति की 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वह वेतनमान 4000–6000 की बजाए 5000–8000 प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार कर उपर्युक्त चाहे गए अनुतोष प्रदान किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उक्त अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को नियमानुसार सभी लाभ प्रदान किए जा चुके है। अपीलार्थी को वेतनमान 4000–6000 का लाभ दिया जा चुका है। अपीलार्थी का मामला सोहनलाल माथुर वाले मामले से भिन्न है इसलिए उक्त मामले के आधार पर अपीलार्थी को वे सभी लाभ नहीं दिए जा सकते है, क्योंकि सोहन लाल माथुर की नियुक्ति फिटर के पद पर हुई थी। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.07.1966 को प्रारम्भ में वर्कचार्ज्ड चौकीदार आधार पर नियुक्ति दी गई थी और नियम, 1964 के नियम–3(3) के तहत् अर्द्धस्थाई घोषित उपरान्त उसे पम्प चालक तृतीय के पद पर एवं पम्प चालक द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। पम्प चालक द्वितीय का वेतनमान नियम, 1989 के तहत पुनर्निर्धारण कर वेतनमान 910–1520 दिया गया और पम्प चालक प्रथम 975–1720 एवं फोरमैन

द्वितीय 1200–2050 एवं फोरमैन प्रथम का वेतनमान 1400–2500 प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान दिया गया। जहां तक अपीलार्थी के पति को 18 एवं 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3631/2008 सोहन लाल माथुर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2008 में निम्न लिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है:–

> ***In view of whatever said above, this petition for writ deserves acceptance and, therefore, the same is. The respondents are directed to allow selection grade to the petitioner on completion of 18 years of service as per para 5 of the notifications dated 25.1.1992 and 17.2.1998. The petitioner is declared entitled for getting the pay scale of Rs.1400-2600 (Rs.5000-8000) as second selection grade on completion of 18 years of service and the pay scale of Rs.5500-9000 on completion of 27 years of service as the third selection grade. The entitlement as declared above is required to be executed by the respondents within a period of six months from today.***

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि सोहन लाला माथुर वाले प्रकरण के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए एवं सेवा नियमों के आधार पर अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं देय अन्य आनुषांगिक परिलाभ प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य